

20/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादो
उपलब्ध नहीं। वादो व वादो के वकील को
बार-बार आवाज लगाए गए किन्तु
कोई भी उपलब्ध नहीं है। वादो के दाय
पत्रावली के दिनांक 27/7/22 से संशोधित
श्रीषक के निपट से गए हैं। जिसमें वादो
के 15 (पंद्रह) दिनों के संशोधित श्रीषक
पेश किए जाने चाहिए था लेकिन वादो
दाय आज दिनांक तक संशोधित श्रीषक प्राप्त
नहीं किए हैं। जिससे वादो में उक्त वाद
पत्र को आगे चलाने में रुचि प्रकट नहीं
होती है। जिस स्थिति में वादो का वाद 09/15
में खासि किया जाता है। पत्रावली केवल
शुभार होकर नक्कर से कम है। वाद प्रति
दाखिल उमर है।



उपस्थंड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)